



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

पृ.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि.-एम.ओ /2020/8332 भोपाल, दिनांक: 30.06.2020

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 17.06.2020 वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से निम्नलिखित चिकित्सक की उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई स्वास्थ्य संस्था में संविदा आधार पर पदस्थापना की जाती है :-

क्र	चिकित्सक का नाम	पिता का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापना स्थल	मानदेय राशि
1	DR. SHRAVANRAJ PATEL (12210)	MR. RAVENDRA PRASAD PATEL	M.B.B.S	PHC LAXMANPUR DISTRICT-REWA	65,000/-


संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के अनुरूप होंगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2021) के लिए होगी।
3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर एवं मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. संविदा चिकित्सक आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराकर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
6. यदि कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा अनुबंधकर्ता अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अवधि अधिकतम एक माह के लिए मान्य की जा सकेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. संविदा चिकित्सक द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि 500/- के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
8. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा चिकित्सक के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
9. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित संविदा चिकित्सक द्वारा वहन किया जायेगा।
10. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच-नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
11. अनुबंध उपरांत संविदा चिकित्सक को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

निरंतर..2


12. संविदा चिकित्सक को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।
13. संविदा चिकित्सक द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
14. संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
15. आकस्मिक अवकाश-संविदा पर नियुक्त चिकित्सक को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।
16. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा चिकित्सक द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।


 (अनुकूल जैन)
 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
 एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

पृ.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./ सं.नि.-एम.ओ /2020/8333 भोपाल, दिनांक: 30.06.2020
 प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
4. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
5. संचालक, वित्त, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
7. उप संचालक, मातृ स्वास्थ्य सेवायें, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
8. उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य सेवायें, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति छतरपुर, म.प्र.।
10. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग-रीवा, म.प्र.।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रीवा, म.प्र.।
12. उप संचालक, आई.टी. एनएचएम की ओर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. DR. SHRAVANRAJ PATEL की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
 एन.एच.एम., मध्यप्रदेश